

बड़ी प्रसाद गड माया देवी
हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

मु. नं

७५/२०२४

20/01/2026

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील
में जारी हुए

पत्रावली पेश हुई वकील प्राथीगण उपर वकील
प्राथीगण द्वारा प्रा. पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पर बहस
की बहस पर मनन किया। प्रा. पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा
व मूल दावा पत्रावली का अवलोकन किया। मूल दावा
उपस्थान, इन्फ्रान्क्विटि एवं स्थायी निषेधाज्ञा
का है। मूल दावा के विधिवत निस्तार होने तक अप्राथीगण
द्वारा वादस्थ भूमि में मजबूत पैदा करने के अंश
के मध्यनजर प्रकरण में जारी अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा
को कन्फर्म किया जाना अनिवार्य होता है।

अतः वकील प्राथीगण बहस पर मनन करने
एवं पत्रावली के अवलोकन के आधार पर प्रकरण में
जारी अंतरिम अस्थायी आदेश दिनांक 28/03/2024
को तात्कालिक मूल दावा के कन्फर्म किया जाता है।
प्रकरण के सन शुमार होता बाद तक वकील हम फिलान् मूल दावा रहे।

20/1/26

उपखण्ड अधिकारी

बांसीकुई